

प्रेषक

श्रम आयुक्त एवं मुख्य कारखाना निरीक्षक,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में

1. संयुक्त निदेशक, औ० सु० एवं स्वा०, हरियाणा।
2. सभी उप निदेशक, औ० सु० एवं स्वा०, हरियाणा।
3. सभी उप निदेशक, औ० स्वा०, हरियाणा।
4. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा।
5. सभी सहायक निदेशक, औ० सु० एवं स्वा०, हरियाणा।
6. सभी सहायक निदेशक, औ० सु० एवं स्वा० (कैमिकल), हरियाणा।
7. सभी सहायक निदेशक, औ० स्वा०, हरियाणा।
8. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा।
9. सभी कल्याण अधिकारी (महिला), हरियाणा।
10. सभी श्रम निरीक्षक, हरियाणा।

क्रमांक: 26912-90

दिनांक: 8-8-17

विषय:

मुख्यालय की अनुमति के बिना कारखानों/वाणिज्यिक संस्थानों में अनावश्यक दौरो/निरीक्षण बारे।

उपरोक्त विषय पर आपको विदित है कि श्रम विभाग की पारदर्शी निरीक्षण नीति (संशोधित), 2017 दिनांक 05.07.2017 के अनुसार मुख्यालय द्वारा computer generated random system द्वारा चिह्नित संस्थाओं का ही निरीक्षण, अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाना होता है, लेकिन यह कार्यालय के संज्ञान में आया है कि श्रम विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा पारदर्शी निरीक्षण नीति को अनदेखा करते हुये कारखानों/संस्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है, जोकि सरकार तथा विभागीय निर्देशों की उल्लंघना है।

उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अपंजीकृत कारखाने व वाणिज्यिक संस्थान के बारे में आपके पास कोई जानकारी अथवा शिकायत प्राप्त होती है तो संदर्भित शिकायत मुख्यालय को तुरंत प्रेषित करें, अपंजीकृत कारखाने की अवस्था में कारखाने की पंजीकरण रिपोर्ट भी 24 घंटे के अंदर विभागीय वेब-साइट पर अपलोड करें तथा उस कारखाने अथवा संस्थान के निरीक्षण के लिए श्रम आयुक्त एवं मुख्य कारखाना निरीक्षक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें। श्रम आयुक्त एवं मुख्य कारखाना निरीक्षक, किसी भी अधिकारी अथवा अधिकारियों की टीम को क्षेत्राधिकार से बाहर भी निरीक्षण के लिए अधिकृत कर सकते हैं।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त नीति के अंतर्गत किये गये प्रावधानों व नियमों के अनुरूप ही कारखानों/संस्थानों का निरीक्षण करें। इसके अतिरिक्त यदि कोई निरीक्षण श्रम आयुक्त एवं मुख्य कारखाना निरीक्षक के पूर्व अनुमोदन के बिना, अनाधिकृत रूप से, किसी भी अधिकारी द्वारा किया जाता है तो इसे गंभीरता से लिया जायेगा।

M. J.
for श्रम आयुक्त एवं मुख्य कारखाना निरीक्षक,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृष्ठांकन क्रमांक:-

दिनांक:-

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती हैं।

- 1 अतिरिक्त श्रम आयुक्त (प्रशा०) हरियाणा, चण्डीगढ़।
- 2 अतिरिक्त श्रम आयुक्त, एन.सी.आर. गुंडगांव।
- 3 अतिरिक्त निदेशक, औ० सु० एवं स्वा०, हरियाणा, चण्डीगढ़।
- 4 निजी सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्री, हरियाणा।
- 5 निजी सचिव, प्रधान सचिव, श्रम विभाग, हरियाणा।

M. J.
for श्रम आयुक्त एवं मुख्य कारखाना निरीक्षक,
हरियाणा, चण्डीगढ़।